



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

**सतत पैरवी के फलस्वरूप विगत सप्ताह में कुल 08 अभियुक्तों को करायी  
गयी सजा**

दिनांक:-07.06.2022

अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय में प्रचलित वादों में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी के लिये निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देशों के अनुपालन के क्रम में माह जून के प्रथम सप्ताह में माननीय न्यायालय में प्रचलित वादों में जनपदीय पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जनपद के समस्त थानों द्वारा सतत पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा विचारण पूर्ण कर विभिन्न अपराधों में कुल 04 वादों में कुल 08 अभियुक्तों को सजा करायी गयी है। जिनमें से 01 दोषसिद्ध अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास, 04 दोषसिद्ध अभियुक्तों को 04 वर्ष सश्रम कारावास की सजा हुई। जिनमें मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला संबंधी अपराधों में 01 अभियुक्त को करायी गयी सजा भी सम्मिलित है।

क्रं.सं.	नाम थाना	कुल अभियोगों में हुई सजा	अभियुक्तों की संख्या
1	रामपुर कलां	01	02
2	अटरिया	01	01
3	कमलापुर	01	01
4	बिसवां	01	04
	<b>योग</b>	<b>04</b>	<b>08</b>

थानावार विवरण निम्नवत् है-

सतत पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय से विगत सप्ताह में करायी गयी सजा						
क्र० सं०	थाना	मु०अ०सं०	धारा	सजा हुए अभियुक्त का नाम व पता	सजा का विवरण	न्यायालय का नाम
1	रामपुर कलां	190/98	379/411 भादवि०	1. विश्वेश्वर यादव पुत्र गोकुल यादव 2. लाला राम पुत्र विश्वेश्वर यादव नि० गण चौडिया कोठार	अभि० गण को कुल 2000 रु० का अर्थदण्ड	ACJ-JD 08
2	अटरिया	28/05	279/337/338/427 भादवि०	अवतार सिंह पुत्र सरदार दर्शन सिंह नि० सहबाजपुर थाना सदर पंजाव	अभि० को कुल 3000 रु० का अर्थदण्ड	ग्रा० न्या० सिधौली
3	बिसवां	212/16	308/323/325/504 भादवि०	1. शब्बीर पुत्र श्रीकल्लू 2. आबिद पुत्र शब्बीर 3. वाहिद पुत्र शब्बीर 4. मासूम पुत्र शब्बीर नि० गण चन्दनपुर थाना बिसवां	अभि० गण को चार वर्ष सश्रम कारावास व कुल 4500 रु० का अर्थदण्ड	ASJ-9
4	कमलापुर	239/13	376/323 भादवि०	गंगाराम पुत्र भाईलाल नि० बहरीमऊ कमलापुर	अभि० को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 21 हजार का अर्थदण्ड	ASJ-FTC (NEW)